



# न्याय आपके द्वार – लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान

रालसा का नवाचार : 3 माह का विशेष अभियान

9 नवम्बर, 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर

## राजस्थान में स्थायी लोक अदालतें (Permanent Lok Adalats) आम आदमी के लिए आसान न्याय

### स्थायी लोक अदालत क्या है ?

- एक न्यायिक संस्था जहां आमजन की, लोक उपयोगी सेवाओं जैसे - बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक/शैक्षणिक सेवाएं, आवास एवं भू-सम्पदा सेवाएं, एलपीजी सेवा आदि, से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई होती है।

### कैसे काम करती है ?

- लंबे मुकदमे या जटिल साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं।
- दोनों पक्षों के बीच सुलह से विवाद का समाधान।
- विपक्षी की अनुपस्थिति पर PLA द्वारा गुणावगुण पर आदेश करने का अधिकार।
- निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।
- निर्णय के खिलाफ किसी और अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
- सरल, त्वरित एवं निर्णायक समाधान।

### क्यों है आमजन के लिए उपयोगी ?

- यदि कोई सरकारी उपक्रम या जन उपयोगी सेवा अपनी कर्तव्य पालना में असफल रहता है तो PLA, न्याय का सरल एवं सस्ता उपाय है।

अभियान के दौरान, शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु रालसा द्वारा प्रक्रिया को सुलभ एवं सरल बनाया गया है।

कोई खर्च नहीं - वकील की आवश्यकता नहीं।  
संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क एवं क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान।



विविध लोक उपयोगी  
सेवाओं  
की समस्याएँ

### एक समाधान - स्थायी लोक अदालतें

लोक उपयोगी सेवाएँ - समस्याएँ - सुलभ एवं सस्ता समाधान

### रालसा का विशेष अभियान

- तीन माह के अभियान के दौरान विहित प्रारूप अथवा सरल हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र, रालसा के समर्पित मोबाईल नंबर 9119365734, पर सीधे व्हाट्सएप पर प्रेषित किए जा सकेंगे।
- रालसा के नोडल अधिकारी द्वारा त्वरित रूप से उक्त शिकायत, सीधे संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जि. वि.से.प्रा.) को प्रेषित की जाएगी।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समर्पित पी.एल.वी. शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- उक्त रिपोर्ट के आधार पर जि.वि.से.प्रा. द्वारा स्थायी लोक अदालत में निःशुल्क पैरवी हेतु एल.ए.डी.सी./पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा।
- रालसा द्वारा प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी।
- स्थायी लोक अदालतों द्वारा, आवश्यकतानुसार संबंधित जिले में उक्त शिकायतों के निस्तारण हेतु कैम्प आयोजित किए जाएंगे।

“ रालसा का संकल्प – समस्या आपकी, दायित्व हमारा ”  
सुलभ न्याय, सुनिश्चित समाधान

अभियान हेतु संपर्क करें : 8306002109, 9119365734 (हेल्पलाइन नं. नालसा - 15100, रालसा - 9928900900)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी

Email : dlsa9bundi@gmail.com  
Phone 0747-2940061, Helpline 8306002109

सेवा में,  
श्रीमान सदस्य सचिव महोदय,  
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जयपुर।

**विषय:** विधिक सहायता / काउंसलिंग चाहने बाबत।

**महोदय,**  
उपयुक्त विषयानुसार निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थिया —

नाम : .....  
पिता / पति का नाम : .....  
आयु : ..... वर्ष    लिंग : .....    मोबाइल नं. : .....  
पता : .....  
वार्ड नं. : .....    थाना : .....    जिला : .....

निवासी है।

प्रार्थी / प्रार्थिया को निम्नलिखित समस्या / विवाद / जन उपयोगी सेवा की आवश्यकता है —

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(समस्या का संक्षिप्त विवरण दें।)

क्या प्रार्थी / प्रार्थिया ने पूर्व में भी इस संबंध में किसी संस्था / थाने / न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण में शिकायत या आवेदन किया है?

☐ हाँ    ☐ नहीं

प्रार्थी / प्रार्थिया को उपरोक्त विषयक न्यायसंगत विधिक सहायता / परामर्श प्रदान करने की कृपा की जाए।

**हस्ताक्षर :** .....    **दिनांक :** .....

**संलग्न दस्तावेज़:**

1. पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (जैसे – आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड आदि)।
2. अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रति, उपलब्ध फोटो या वीडियोग्राफी। (यदि प्रार्थी/प्रार्थिया प्रस्तुत करना चाहते हों)।

(जनोपयोगी सेवाओं में सम्मिलित हैं :- सड़क/रेल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा; डाक या टेलीफोन सेवा; बिजली या पानी की आपूर्ति; लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली संबंधी; अस्पताल या डिसपेंसरी में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं; बीमा सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवाएं, एलपीजी सेवा, शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थानों तथा आवासीय एवं भू-सम्पदा सेवाएं )

## किन-किन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर PLA का अधिकार है?"

PLA निम्न सेवाओं से जुड़े विवादों की सुनवाई करती है :

### (1) जल आपूर्ति

- लंबे समय तक पानी न मिलना
- मीटर / बिल में त्रुटि
- दूषित जल की आपूर्ति



### (2) बिजली आपूर्ति

- अत्यधिक बिल
- बार-बार बिजली बाधित होना
- नए कनेक्शन में देरी

### (3) परिवहन सेवाएँ (सरकारी बसें / रेल सेवाएँ)

- टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना
- सेवा में अनियमितता
- यात्रा के दौरान सामान क्षतिग्रस्त होना



### (4) स्वास्थ्य सेवाएँ (सरकारी अस्पताल)

- उपचार / दवाओं में देरी
- आवश्यक सुविधाओं का अभाव
- गंभीर लापरवाही

### (5) आवास व शहरी सेवाएँ

- सीवरेज / सफाई संबंधी समस्याएँ
- स्ट्रीट लाइट खराब
- आवास संबंधित अनियमितताएँ



### (6) बैंकिंग व बीमा सेवाएँ

- खाता संचालन में गंभीर त्रुटि
- ऋण प्रक्रिया में अनुचित विलंब
- बीमा दावा समय पर न मिलना

### (7) अन्य सेवाएँ

- LPG
- शहरी स्वच्छता
- कचरा प्रबंधन आदि

**जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी**

Phone 0747-2940061, Helpline 8306002109 Email : dlsa9bundi@gmail.com